भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 890

दिनांक 24.07.2025 को उत्तर के लिए नियत

एमएसएमई को समर्थन

890. श्री अमरसिंग टिस्सो:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार पूर्वोत्तर राज्यों, विशेषकर कार्बी आंगलोंग और डिमहासाओ जिलों में हल्दी, अदरक, बांस और अन्य कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण में लगे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान सहायता प्राप्त ऐसे उद्यमों की संख्या कितनी है और उन्हें कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) क्या इन जिलों में मूल्यवर्धित कृषि प्रसंस्करण के लिए कोई नए क्लस्टर या इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित करने की योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : जी, हां। सरकार पूर्वोत्तर राज्यों और कार्बी आंगलोंग और डिमहासाओ जिलों सहित देश भर में हल्दी, अदरक, बांस और अन्य कृषि उत्पादन प्रसंस्करण में संलग्न सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है। इनमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) शामिल हैं।

(ख) : पीएमईजीपी के अंतर्गत, विगत 3 वर्षों अर्थात वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक पूर्वोत्तर राज्यों में हल्दी, अदरक, बांस और अन्य कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण में संलग्न सहायता-प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की संख्या निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	हल्दी		अदरक		बांस		अन्य कृषि उत्पाद	
	सहायता-प्राप्त इकाइयों की सं.	एमएम सब्सिडी (लाख रु.)	सहायता-प्राप्त इकाइयों की सं.	एमएम सब्सिडी (लाख रु.)	सहायता-प्राप्त इकाइयों की सं.	एमएम सब्सिडी (लाख रु.)	सहायता-प्राप्त इकाइयों की सं.	एमएम सब्सिडी (लाख रु.)
2022-23	4	13.55	3	7.79	234	335.69	1	3.325
2023-24	1	17.5	1	11.75	79	142.5	80	143.73
2024-25	4	9.94	0	0	65	127.39	2	3.99

विगत 3 वर्षों अर्थात वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक पीएमईजीपी के अंतर्गत कार्बी आंगलोंग और डिमहासाओ जिलें में कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण क्रियाकलापों में संलग्न सहायता-प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की संख्या निम्नानुसार है:

जिला	2022-23		2023-24		2024-25	
	सहायता-प्राप्त इकाइयों की सं.	एमएम सब्सिडी (लाख रु.)	सहायता-प्राप्त इकाइयों की सं.	एमएम सब्सिडी (लाख रु.)	सहायता-प्राप्त इकाइयों की सं.	एमएम सब्सिडी (लाख रु.)
कार्बी आंगलोंग	10	9.39	14	17.22	10	20.86
डिमहासाओ	5	9.17	4	5.97	2	3.22

एमएसई-सीडीपी स्कीम के अंतर्गत, पूर्वोत्तर राज्यों में सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) की छह स्वीकृत परियोजनाएँ क्रियाशील हैं। एमएसई-सीडीपी के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों में अनुमोदित प्रस्तावों का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ग): वर्तमान में, कार्बी आंगलोंग और डिमहासाओ जिलें में मूल्यवर्धित कृषि प्रसंस्करण के लिए नए क्लस्टर या इन्क्यूबेशन केंद्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****

अनुलग्नक I

अनुलग्नक I: दिनांक 24.07.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 890 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित

एमएसई-सीडीपी के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों में अनुमोदित प्रस्तावों का ब्यौरा : सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी)

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	**परियोजना का नाम**	**अनुमोदन की तिथि**	**परियोजना लागत**	**भारत सरकार की प्रतिबद्ध सहायता**
1.	काजू प्रसंस्करण क्लस्टर, सेल्सेला जिला, मेघालय	04.09.2019	1.8937	1.4238
2.	खाद्य प्रसंस्करण क्लस्टर, मोकोकचुंग, नागालैंड	09.03.2020	8.3959	6.7167
3.	लोंगखिम और चारे क्षेत्र, शहद, मसाले और खाद्य प्रसंस्करण क्लस्टर, तुएनसांग जिला, नागालैंड	16.06.2023	12.7639	10.4664
4.	बांस अगरबत्ती स्टिक निर्माण क्लस्टर, काकोपाथर, तिनसुकिया, असम	21.06.2023	3.5209	2.8200
5.	खाद्य प्रसंस्करण क्लस्टर, मुकालिमी गांव, पुघोबोटो, जुन्हेबोटो, नागालैंड	09.11.2023	9.9600	7.9680
6.	पशु आहार क्लस्टर, मोंसेन्यिमिती गाँव, मोकोकचुंग जिला, नागालैंड	09.11.2023	9.9826	7.9861
	कुल		**46.517**	**37.381**